लघु उद्योग मंत्रालय

मांग संख्या 73

लघु उद्योग मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2001-2002			संशोधित 2001-2002			बजट 2002-2003		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		228.03	55.06	283.09	199.24	52.95	252.19	345.60	51.51	397.11
पूंजी		*4.03*	*...*	*4.03*	*3.15*	*...*	*3.15*	*...*	*...*	*...*
जोड़		**232.06**	**55.06**	**287.12**	**202.39**	**52.95**	**255.34**	**345.60**	**51.51**	**397.11**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	3.62	3.62	...	3.63	3.63	...	3.95	3.95
लघु उद्योग										
2. लघु उद्योग विकास आयुक्त (लाइब्रेरी सहित)										
3. लघु उद्योगों के विकास के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम	2851	1.10	7.91	9.01	1.82	7.72	9.54	4.50	8.02	12.52
को अनुदान	2851	29.00	5.50	34.50	27.54	5.50	33.04	28.80	1.90	30.70
4. अन्य लघु उद्योग स्कीमों का संवर्धन	2851	102.21	38.03	140.24	62.33	36.10	98.43	81.12	37.64	118.76
	3601	26.92	...	26.92	3.63	...	3.63	11.38	...	11.38
	3602	0.40	...	0.40	0.25	...	0.25	0.30	...	0.30
	4851	4.03	...	4.03	3.15	...	3.15	...	...	...
	जोड़	*133.56*	*38.03*	*171.59*	*69.36*	*36.10*	*105.46*	*92.80*	*37.64*	*130.44*
5. सरकारी उपक्रमों में निवेश - एन.एस.आई.सी.	4851	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6. युक्तियुक्त श्रम का पुनर्गठन और पुन प्रशिक्षण	2851	0.40	...	0.40	0.40	...	0.40	...	...	...
7. अन्य स्कीमें	2851	8.00	...	8.00	3.27	...	3.27	4.50	...	4.50
	जोड़	*8.00*	*...*	*8.00*	*3.27*	*...*	*3.27*	*4.50*	*...*	*4.50*
8. ऋण गारंटी स्कीम	2851	60.00	...	60.00	100.00	...	100.00	180.00	...	180.00
9. पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के हित की परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	...	...	...	...	...	...	35.00	...	35.00
कुल जोड़		***232.06***	***55.06***	***287.12***	***202.39***	***52.95***	***255.34***	***345.60***	***51.51***	***397.11***
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़
5.01 राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम	12851	...	120.00	120.00	...	120.00	120.00	...	85.00	85.00
5.02 भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	12851	...	15.00	15.00	...	25.00	25.00	...	...	...
5.03 राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद	12851	...	...	...	...	0.99	0.99	...	...	...
5.04 भारतीय उद्यमशीलता संस्थान, गुवाहाटी	12851	...	0.50	0.50	...	...	...	...	...	...
5.05 राष्ट्रीय उद्यमशीलता और लघु कारोबार विकास संस्थान, नई दिल्ली	12851	...	0.50	0.50	...	...	...	...	...	...
जोड़		**...**	**136.00**	**136.00**	**...**	**145.99**	**145.99**	**...**	**85.00**	**85.00**
ग. आयोजना परिव्यय										
1. ग्राम और लघु उद्योग	12851	234.50	136.00	370.50	204.69	145.99	350.68	315.00	85.00	400.00
2. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	...	...	...	...	...	...	35.00	...	35.00
जोड़		**234.50**	**136.00**	**370.50**	**204.69**	**145.99**	**350.68**	**350.00**	**85.00**	**435.00**
मांग संख्या 82	12851	0.45	...	0.45	0.31	...	0.31	0.15	...	0.15
मांग संख्या 83	12851	1.99	...	1.99	1.99	...	1.99	4.25	...	4.25
	जोड़	*2.44*	*...*	*2.44*	*2.30*	*...*	*2.30*	*4.40*	*...*	*4.40*

** इसके अंतर्गत शहरी विकास मंत्रालय की मांगों में प्रदत्त निर्माण कार्य परिव्यय शामिल है।*

1. **सचिवालय आर्थिक सेवाएं:** इसमें लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के लिए वेतन तथा कार्यालय व्यय की व्यवस्था है।

2. विकास आयुक्त (पुस्तकालय सहित) : विकास आयुक्त का कार्यालय जिसके प्रधान विकास आयुक्त हैं, देश में लघु उद्योगों के संवर्धन और विकास की नीतियों और कार्यक्रमों का निर्माण, समन्वयन और अनुवीक्षण करने के लिए एक शीर्षस्थ निकाय है। यह लघु उद्यगों के विकास से संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों, योजना आयोग, राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थाओं, स्वैच्छिक संगठनों और अन्य संगठनों से निकट सम्पर्क बनाए रखता है।

यह विशिष्ट प्रकार के उद्योगों के संकेन्द्रण वाले क्षेत्रों में 30 लघु उद्योग सेवा संस्थाओं, 28 छोटी उद्योग सेवा संस्थाओं, 4 प्रादेशिक परीक्षण केन्द्रों, 1 उत्पादन केन्द्र, 7 क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्रों, एक समेकित प्रशिक्षण केन्द्र (उद्योग), नीलोखेड़ी, एच.टी.डी. एण्ड टी.सी., नागौर के नेटवर्क के माध्यम से लघु उद्योग इकाईयों को व्यापक रूप में सुविधाएं और सेवाएं, यंत्रों की सुविधा, विपणन सहायता आदि प्रदान करता है।

3. **लघु उद्योगों के विकास के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड को अनुदान:** एन.एस.आई.सी., किराया-खरीद पर मशीनों की आपूर्ति, बाजार संवर्धन, स्वदेशी और आयातित दोनों प्रकार की कच्ची सामग्री की व्यवस्था, प्रौटोटाइप विकास और टर्न-की परियोजनाओं के निर्यात के लिए सामान्य सुविधाओं के माध्यम से लघु उद्योगों के विकास और संवर्धन के लिए उत्तरदायी है।

4. **अन्य लघु उद्योग योजनाएं :** इसमें मुख्यतया विशिष्ट संस्थाओं जैसे कि केन्द्रीय यंत्र डिजाइन संस्थान हैदराबाद, भुवनेश्वर और कलकत्ता स्थित केन्द्रीय यंत्र कक्ष एवं प्रशिक्षण केन्द्र, केन्द्रीय यंत्र कक्ष, लुधियाना, केन्द्रीय हस्त यंत्र संस्थान, जालन्धर, इन्दौर, औरगांबाद और अहमदाबाद स्थित 3 भारत डेनिश यंत्र कक्ष और भारत-डैनिश यंत्र कक्ष, जमशेदपुर, के लिए व्यवस्था है। इसमें इलैक्ट्रिकल माप उपकरण डिजाइन संस्थान (आई.डी.ई.एम.आई.), मुम्बई, राष्ट्रीय लघु उद्योग प्रसार प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद, राष्ट्रीय उद्यम और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (एन.आई.ई.एस.बी.यू.डी.), नई दिल्ली और इलैक्ट्रानिक सेवा और परीक्षण केन्द्र, रामनगर (उ.प्र.), आगरा और चेन्नई स्थित केन्द्रीय फुटवियर प्रशिक्षण संस्थान, आगरा और मेरठ पी.पी.डी.सी., सुगन्ध और सुस्वाद विकास केन्द्र, कन्नौज और कांच विकास उद्योग केन्द्र, फिरोजाबाद जो सम्बद्ध विशिष्ट क्षेत्रों में प्रशिक्षण और तकनीकी सेवाएं प्रदान करते हैं, की भी व्यवस्था है। यह समेकित आधार ढांचा विकास, आंकड़ों के संग्रहण, सेनेट (एस.ई.एन.ई.टी.) परियोजना आदि जैसी चालू योजनाओं की भी व्यवस्था करती है।

इसमें उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाने, निर्यात की संभावना बढ़ाने, प्रसंस्करण में परिवर्तन लाने, ऊर्जा संरक्षण, प्रदूषण नियत्रंण के लिए लघु उद्योग की गुणवत्ता का दर्जा बढ़ाने और इनके आधुनिकीकरण संबंधी विभिन्न योजनाओं के लिए भी व्यवस्था की जाती है। आधुनिकीकरण एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन के तहत विभिन्न योजनाएं इस प्रकार हैः (i) आई.एस.ओ.9000 प्रमाणन प्राप्त करने की प्रोत्साहन योजना (ii) आई.एस.ओ.9000 संबंधी जागरुकता एवं अभिप्रेरणा प्रयोजन कार्यक्रम (iii) एन.पी.आर.आई. सहित यू.पी.टी.ई.सी.एच. योजना और (iv) लघु उद्योग विकास संगठन कार्यशालाओं का आधुनिकीकरण (v) एस.एम.ई. के प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए ऋण संबद्ध सब्सिडी।

5. **सरकारी उपक्रमों में निवेश:** इसके अन्तर्गत सरकारी उपक्रमों के लिए इक्विटी तथा ऋणों का प्रावधान है जिससे वे अपने कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए वित्त संबंधी अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

5.01 **राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एन.एस.आई.सी.):** राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना 1955 में कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत की गई थी। इसके कार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ किराया खरीद आधार पर लघु उद्योग यूनिटों के आयातित और स्वदेशी मशीनों की आपूर्ति करना, कच्चे माल और पुर्जों की आपूर्ति और वितरण, आंतरिक बाजार और विदेशी बाजार प्रौद्योगिकियों का उन्नयन और तकनीकी प्रशिक्षण तथा सामान्य सुविधाएं प्रदान करना है। अनुदान के माध्यम से बजटीय सहायता उनके कार्यों और सेवाओं जो अधिकांशतः संवर्धनशील प्रकृति की हैं, के आंशिक वित्तपोषण तथा पिछड़े और पहाड़ी क्षेत्रों में इनके कार्यों और सेवाओं को जारी रखने हेतु वैकल्पिक वित्त प्राप्त करने के लिए है।

6. **युक्ति-संगत श्रमिकों को परामर्श और पुनर्प्रशिक्षण:** इसमें विकास उपायुक्त कार्यालय (एस.एस.आई.) द्वारा प्रौद्योगिकी उन्नयन और आधुनिकीकरण द्वारा प्रभावित श्रमिकों के परामर्श और पुनर्प्रशिक्षण और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कार्यान्वयन का प्रावधान है।

7. **अन्य स्कीमें:** इसमें व्यापार और निवेश संबंधों के संवर्धन के लिए वृहत संस्थागत सहायता के लिए भारतीय उद्यमों और विदेशी एस.एम.ई. के बीच अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के संवर्धन के लिए; लघु उद्योग का सर्वेक्षण तथा अध्ययन; ग्राम तथा ग्रामीण उद्योग क्षेत्र; महिलाओं के लिए व्यापार संबंधी उद्यम सहायता विकास कार्यक्रम के लिए भुगतान की व्यवस्था है।

8. **लघु उद्योग क्षेत्र के लिए ऋण गारंटी योजना:** इसमें भारतीय ऋण गारंटी निधि स्कीम (सी.जी.एफ. एस.आई.) को योगदान की व्यवस्था है जो बिना किसी सहयोग के लघु/छोटे एस.एस.आई. इकाइयों को ऋण देने के लिए वाणिज्यिक बैंकों को गारंटी कवर प्रदान करेगा।

9. इसके अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के विकास के लिए परियोजनाओं और योजनाओं के संबंध में प्रावधान की व्यवस्था की गई है।